न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी– श्री पुनीत कुमार गेलड़ा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 – 91/2022/वाद पत्र	तारीख दायर 19.09.2022	तारीख फैसला 26.09.2023

उनवान

1– कमला पत्नी बालूराम रेगर निवासी बालापुरा तहसील फुलिया कलां
2– रीता पत्नी पवन कुमार चंदेल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– वादियागण

बनाम

1– रामदेव पिता बरदा चमार निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
2– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : कब्जेयाबी आराजियात हेतु

उपस्थितः– श्री अनिल कुमार शर्मा – अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र बाबत कब्जेयाबी आराजी न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – वादीगणों के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 1207 रकबा 0.05 है0, 1209 रकबा 0.19 है0, 2094/1201 रकबा 0.19 है0, 2096/1202 रकबा 0.18 है0, 2238/1206 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 रकबा 0.69 है0 है। वादीगण अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात पर बहैसियत मालिक के काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रतिवादीगण सं 02 लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। वाद पत्र के पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात पर पड़ौसियों द्वारा जबरन आगे बड़ने के कारण वादीगणों ने अपनी पैरा सं0 01 में वर्णित आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके मुकदमा नम्बर 76/2022 होकर निर्णय दिनांक 21.06.2022 को किया गया। उक्त निर्णय की पालना हेतु भू अभिलेख निरीक्षक ढीकोला द्वारा दिनांक 22.07.2022 को मौके पर जाकर मौतवीर व्यक्तियों के सामने पत्थरगढी की गई जिसमें मौके पर निशानात किये गये एवं मौका पर्चा बनाया गया। भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी किये जाने के बाद जो पर्चा मौका बनाया गया उसमें वादीगण की आराजी नम्बर 2094/1201 रकबा 0.19 है0, 206/1202 रकबा 0.18 है0 पर प्रतिवादीगण संख्या 01 आ अवैधानिम कब्जा पाया गया जिसे मौके पर्चे में लाईन मार्क कर दर्शाया गया है। उक्त आराजियात का कब्जा सक्षम न्यायालय से प्राप्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये गये। इस कारण वादी को कब्जेयाबी का वाद पेश करने की आवश्यकता हुई है। वाद पत्र के पैरा सं0 02 में वर्णित आराजी नम्बर 1207 रकबा 0.05 है0, 1209 रकबा 0.19 है0, 2094/1201 रकबा 0.19 है0, 2096/1202 रकबा 0.18 है0, 2238/1206 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 रकबा 0.69 है0 जो कि वादीगणों के खातेदारी अधिकारी की होकर वादीगणों के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। किन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 के द्वारा आराजी नम्बर 2094/1201 रकबा 0.19 है0, 206/1202 रकबा 0.18 है0 पर अवैध रूप से अतिचार कर लेने के कारण वादीगणों को आराजी की पूरी उपज

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)

प्राप्त नहीं हो पर रही है। वादीगणों के द्वारा प्रतिवादीगण नं0 1 को मौके पर्चे अनुसार अवैध अतिचार को रोकने बाबत कहा तो प्रतिवादगण नं0 01 ने स्पष्ट मना कर दिया और आमदा फौजदारी हुआ। अतः प्रतिवादीगण सं0 01 के विरूद्ध वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी पत्र स्वीकार कर प्रतिवादीगण नं0 01 के विरूद्ध कब्जेयाबी आराजियात की डिक्री इस अमर की जारी की जावे कि वाद पत्र के पैरा सं0 03 में वर्णित आराजियात में से मौके पर्चे में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण नं0 01 से अवैधानितक कब्जे हटाया जावे एवं कब्जा वादीगणों का सुपुर्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। नियत पेशी दिनांक 10.10.2022 को बावजूद सूचना प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 02.11.2022 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी वं प्रकरण साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। दिनांक 04.04.2023 को अभिभाषक वादीगण द्वारा साक्ष्य के रूप में वादिया सं0 02 का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो पीडब्ल्यू 1 होकर प्रकरण वास्ते बहस एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श लगाने के नियत किया गया। दिनांक 26.09.2023 को प्रकरण में अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी एवं दस्तावेजात पर प्रदर्श लगाये गये। अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादीगणों की खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1207 रकबा 0.05 है0, 1209 रकबा 0.19 है0, 2094/1201 रकबा 0.19 है0, 2096/1202 रकबा 0.18 है0, 2238/1206 रकबा 0.08 है0 कुल किता 5 रकबा 0.69 है0 ग्राम दौलतपुरा में स्थित है। वादीगणों द्वारा अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। श्रीमान के आदेश से भू0अ0निरीक्षक ढीकोला द्वारा पत्थरगढी की गयी जिसमें वादीगण की भूमि आराजी नम्बर 2094/1201 रकबा 0.19 है0, 206/1202 रकबा 0.18 है0 पर प्रतिवादी सं0 01 का कब्जा पाया गया। अतः वादीगण की भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करा कब्जा वादीगण को सिपुर्द किये जाने का आदेश बक्षावें।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड प्रदर्श 1 ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 292 कुल किता 5 रकबा 0.69 है0 वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रदर्श 2 मौका पर्चा पत्थरगढी दिनांक 22.07.2022 अनुसार अराजी नम्बर 2094/1201 रकबा 0.19 है0, एवं आराजी नम्बर 12096/1202 रकबा 0.18 है0 पर प्रतिवादी रामदेव पिता बरदा चमार का कब्जा होना बताया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित अराजी नम्बर 2094/1201 रकबा 0.19 है0, एवं आराजी नम्बर 12096/1202 रकबा 0.18 है0 का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादी सं0 01 से कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास **श्री पुनीत कुमार गेलड़ा**, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

1– कमला पत्नी बालूराम रेगर निवासी बालापुरा तहसील फुलिया कलां
2– रीता पत्नी पवन कुमार चंदेल निवासी शाहपुरा तहसील शाहपुरा

– वादियागण

बनाम

1– रामदेव पिता बरदा चमार निवासी दौलतपुरा तहसील शाहपुरा
2– तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत् कब्जेयाबी आराजी अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर **91** सन् **2022 राजस्व वाद**

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X................................ मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि :–

वाके ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील शाहपुरा जिला शाहपुरा में स्थित आराजी नम्बर 2094/1201 रकबा 0.19 है0, एवं आराजी नम्बर 12096/1202 रकबा 0.18 है0 का पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार प्रतिवादी सं0 01 से कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख **26** माह **09** सन् **2023** को जारी की गई।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा